



वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग, पन्ना लाल पार्क, वाराणसी-221002
फ़ोन: 0542-2280326 ईमेल: vdavaranasi@gmail.com

सेवा में,

श्री/श्रीमती

निवासी-

मो० न०

पत्रांक: /वि०प्रा०/सम्पत्ति/2023-24

दिनांक:-

विषय: प्राधिकरण की के अन्तर्गत आवासीय/व्यावसायिक
भूखण्ड संख्या क्षेत्रफल वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की के अन्तर्गत आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड संख्या क्षेत्रफल वर्गमीटर के आवंटन हेतु नीलामी (ई-आवशन) में आप द्वारा लगायी गई सर्वोच्च बोली रु० के आधार पर आपके पक्ष में नीलामी/आवंटन उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक द्वारा निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया गया है।

1. उपरोक्त बोली के अनुसार आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड संख्या, क्षेत्रफल वर्गमीटर का मूल्य रु० होता है, जिसकी पंजीकरण धनराशि रु० आप द्वारा जमा किया गया है। अभी रु० अवशेष है।
2. सम्पत्ति मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि रु० में से पंजीकरण धनराशि रु० को सामायोजित करने पर धनराशि रु० आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अन्दर आपको जमा करना अनिवार्य होगा।
3. सम्पत्ति की अवशेष बकाया 75 प्रतिशत धनराशि रु० को नीलामी की तिथि से 06 माह के अन्दर सम्पत्ति की सम्पूर्ण धनराशि आवंटी को अनिवार्यतः जमा करनी होगी। समय से धनराशि जमा न किये जाने पर नीलामी/आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुए उक्त के अतिरिक्त जमा शेष धनराशि में से 25 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी।
4. आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड का कब्जा वास्तविक माप के अनुसार आवंटी को लेना अनिवार्य होगा। यदि क्षेत्रफल या आकार पूर्व सूचित/विज्ञापित क्षेत्रफल या आकार से भिन्न होगा तो संशोधन की स्थिति के अनुसार आवंटी को धनराशि भुगतान करना होगा।
5. वाराणसी विकास प्राधिकरण की शर्तों पर आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड की रजिस्ट्री आवंटी द्वारा अपने व्यय पर निष्पादित करानी होगी।

अतः उपरोक्तानुसार समय से अवशेष धनराशि जमा करते हुए कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड की रजिस्ट्री की कार्यवाही सम्पादित कराते हुए आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रभारी अधिकारी
(सम्पत्ति)